न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3599–पीबीआर/15 विरूद्ध अंतरिम आदेश दिनांक 3–10–2015 पारित द्वारा तहसीलदार, धार जिला धार प्रकरण कमांक 2/अ–13/2014–15.

1– अल्लाबक्श पिता अल्लाबेली
2– बबलु पिता अल्ला बक्श पटेल
निवासीगण ग्राम कोट भिडोता
तहसील व जिला धार .....आवेदकगण

विरूद्ध

शरीफ पिता खुदाबख्श पटेल
निवासी ग्राम कोट भिडोता
तहसील व जिला धार .....अनावेदक

श्री सचिन भावसार, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री महक अग्रवाल, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 16/6/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, धार जिला धार द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 3–10–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार, धार के समक्ष संहिता की धारा 131 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम कोट भिडोता स्थित सर्वे कमांक 77/4 रकबा 1.078 हेक्टेयर अनावेदक के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि है । उक्त कृषि भूमि पर आने–जाने एवं कृषि उपकरण ट्रेक्टर ट्राली, मशीन आदि ले जाने का परम्परागत रास्ता आवेदकगण की भूमि सर्वे कमांक 77/3 रकबा

0.77 एवं सर्वे क्रमांक 77/5 रकबा 0.569 हेक्टेयर के मध्य से है, जिसे आवेदकगण द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । साथ ही अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने हेतु संहिता की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/अ–13/2014–15 कर दिनांक 3–10–2015 को अंतरिम आदेश पारित कर रास्ता खुलवाने के आदेश दिये गये । तहसीलदार के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदकगण द्वारा अनावेदक एवं नियाज मोहम्मद के मध्य रास्ते के संबंध में जो इकरारनामा प्रस्तुत किया था, उसमें स्पष्ट है कि आवेदकगण की भूमि पर रास्ता नहीं है । रास्ता सर्वे क्रमांक 76/5 एवं 76/6 की मेढ़ में से होकर सर्वे क्रमांक 76/4 अनावेदक के खेत के लिए है ।

(2) आवेदकगण का सर्वे क्रमांक 77/3 पर वर्ष 2004 से मकान बना हुआ है, जिसकी विधिवत अनुमति ग्राम पंचायत से ली गई है ।

(3) अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं हुआ है कि आवेदकगण की भूमि पर पारम्परिक रास्ता रहा है

(4) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थल निरीक्षण किये जाने पर स्थल निरीक्षण टीप लिखना आवश्यक है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थल निरीक्षण टीप नहीं लिखी गई है ।

तर्कों के समर्थन में 1970 आर.एन. 313, 1974 आर.एन. 83, 1975 आर.एन. 101, 1973 आर.एन. 301 एवं 1971 आर.एन. 584 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ प्रत्युत्तर में अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा स्थल निरीक्षण में रास्ते को आवेदकगण द्वारा अवरूद्ध किया जाना पाया गया है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधिसंगत है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत स्थल निरीक्षण किया जाकर अंतरिम रूप से रास्ता खोले जाने का आदेश दिया गया है, जो कि वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही है । तहसील न्यायालय द्वारा अभी प्रकरण में अंतरिम आदेश पारित किया गया है,

और प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण किया जाना है, जहां आवेदकगण को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है, और वे साक्ष्य से प्रश्नाधीन रास्ता मौके पर नहीं होना प्रमाणित कर सकते हैं । दर्शित परिस्थितियों में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, धार जिला धार द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 3–10–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर